राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

- राजकीय विद्यालयों में योग्यताधारी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- विद्यार्थी एवं विद्यालय के विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति संचालित, जिसमें अभिभावक, जन प्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक महीने में आयोजित।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा।
- कक्षा 8 में ए ग्रेड या इससे ऊपर के मेधावी पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण।
- कक्षा 7 व 8 के योग्य विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु, अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ी जाति आदि वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति देय।

बालक–बालिकाओं का प्रवेश राजकीय विद्यालयों में कराएँ।
निःशुल्क शिक्षा दिलाएँ, सबको पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ।।

प्रकाशक

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

संघनित पाठ्यपुस्तक

हिंदी

कक्षा स्तर : 3–6

(आयु वर्ग अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु)

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

सब पढ़ें, सब बढ़ें

http://egyan.rajasthan.gov.in/goresa/ पोर्टल हिन्दी भाषा हेतु

http://egyan.rajasthan.gov.in/goresa/home/ पोर्टल अंग्रेजी भाषा हेतु

राज-ई ज्ञान –

डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक करते हुए विद्यालयों में अधिगम स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं विद्यार्थियों की प्रत्येक कक्षा स्तर की प्रत्येक विषय वस्तु तक सुगम व सक्षम पहुंच बनाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक पोर्टल "राज-ई-ज्ञान" का शुभारंभ किया गया है| इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तरीय विषयवस्तु ई-कंटेंट टेक्स्ट, पॉवर-पॉइंट, एनिमेशन, विडिओ, ऑडियो, ई-पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है| राज-ई ज्ञान पोर्टल का निर्माण दो भाषाओँ में किया गया है, हिन्दी व अंग्रेजी |

ई- संसाधन

राज-ई ज्ञान पोर्टल पर विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद व अभिभावक ई पुस्तक, विडियो, ऑडियो, वर्कशीट इत्यादि प्रारूप में विषय सामग्री का उपयोग कर सकते हैं व विद्यालय एवं शिक्षक, स्वयं द्वारा तैयार की गयी सामग्री को इस पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं |

स्वच्छता की प्रतिज्ञा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा/रहूँगी और उसके लिए समय दूँगा/दूँगी।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा/करूँगी। मैं न गंदगी करूँगा/करूँगी और न किसी को करने दूँगा/दूँगी। सबसे पहले मैं, स्वयं से, मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूँगा/करूँगी।

मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो देश साफ दिखते हैं उसका कारण है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गाँव–गाँव एवं गली–गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा/करूँगी।

मैं आज जो शपथ ले रहा/रही हूँ वो अन्य व्यक्तियों से भी कहूँगा/कहूँगी कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए सौ घंटे दें इसके लिए प्रयास करूँगा/करूँगी।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की ओर बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ करने में मदद करेगा।

।। जयहिंद।।